न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र.सं. 41/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. सईद अहमद पुत्र अनवर अहमद जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला,दौसा
2. इश्तियाक अहमद पुत्र अनवर अहमद जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला,दौसा
3. अलाउद्दी पुत्र अनवर अहमद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 34, बेलीमान मौहल्ला, दौसा
4. अबरार अहमद पुत्र अनवर अहमद जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला,दौसा
5. अनसार अहमद पुत्र अनवर अहमद जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला,दौसा
6. मुख्तयार अहमद पुत्र अनवर अहमद जाति मुसलमान निवासी नागौरी मौहल्ला,दौसा

....प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा श्री मूलचंद लूणिया, (आर.ए.एस.)
   लल्लू प्रसाद पुत्र धन्नालाल (फौत) जरिये सर्वाधिकारी विभूति कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचरणलाल शर्मा निवासी 28 ए/7 उगमपथ बनीपार्क जयपुर (फौत)
   1/1 सोनिया पुत्री लल्लूप्रसाद पत्नि स्व0 हेमन्त शर्मा
   1/2 कुसुम शर्मा पुत्री लल्लूप्रसाद शर्मा पत्नि विभूति नारायण
   निवासी 28/78 ए उगमपथ बगीची, बनीपार्क जयपुर राज0
2. अरूणेश कुमार पुत्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सुभाष कॉलोनी दौसा
   1. मनमोहन पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी पटवार कॉलोनी, रामकुण्ड के पास, लालसोट रोड,दौसा
   2. शान्तनु शर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा निवासी केशव बावडी, जैन मंदिर के पास, ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0
   3. सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्री मिट्ठनलाल शर्मा निवासी ट्रक यूनियन माली मौहल्ला, गंगापुरसिटी
   4. हनुमान प्रसाद महावर पुत्र कन्हैयालाल महावर जाति महावर निवासी गेटोलाव रोड, दौसा जिला दौसा
   5. रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति महावर निवा बावडीपाडा दौसा जिला दौसा।
   6. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल जाति महावर निवा बावडीपाडा दौसा जिला दौसा।

.....अप्रार्थीगण

प्रकरण सरकार बनाम लल्लूप्रसाद वगै0 प्रथम पक्ष मनमोहन वगै0 द्वितीय पक्ष किस्म मुकदमा धारा 145 सी.आर.पी.सी. मुकदमा नंबर 2/2023 सक्षम न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा को ट्रांस्फर कर अन्य न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानान्तरण करने बाबत।

उपस्थित : 1. श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री सतीश पारीकअधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री अभयशंकर शर्मा, विनोद कुमार विजय, वरूण नागर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से
3. श्री राजेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

-: निर्णय :-

दिनांक 01.7.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा में विचाराधीन मुकदमा नंबर 2/2023 किस्म मुकदमा 145 सी.आर.पी.सी. को दीगर

उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिलाखंड मजिस्ट्रेट दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। मुताबिक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त प्रकरण न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा के समक्ष विचाराधीन है जिसमें सुनवाई दिनांक 15.5.2025 नियम है। उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि 1898 से 1900 दौसा कस्बा में स्थित जिस पर प्रार्थीगण अपने काबिज काश्त खातेदार मालिक है व समस्त प्रकार के आधिपत्य अधिकार कब्जा मालिकाना हक समस्त प्रार्थीगणों का है तथा वे अपने पिता के जीवनकाल से लगातार शंतिपूर्वक खेती करते आ रहे है व आवासीय मकान चारों तरफ कच्ची मिट्टी की डोली तार बाउंड्री व बोर्ड लगा रखा है। अन्य किसी भी पार्टी नंबर 1 व अन्य पार्टी नंबर 2 के पक्षकार हनुमान प्रसाद, रामजीलाल, सीताराम, शान्तनु, सतीश मनमोहन आदि का किसी प्रकार का कोई आधिपत्य अधिकार कब्जा मालिकाना हक नहीं है। झूंठे तथ्यों के आधार पर लल्लूप्रसाद ने पुलिस अधीक्षक दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 145 की कार्यवाही का लल्लूप्रसाद व विभूति के द्वारा पेश किया गया है जिसमें पुलिस ने 145 की कार्यवाही करते हुए व विवादग्रस्त भूमि से संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए उप जिला कलक्टर के यहॉ पेश किया जो वर्तमान में उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा के यहॉ विचाराधीन है। उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा उक्त प्रकरण में नजदीकी तारीख देते अधिवक्ता की सुविधा तारीख पेशी नहीं देते है व दिनांक 15.5.2025 को शान्तनु कुमार अरूणेश आदि के अधिवक्ता श्री टापरिया ने न्यायालय के समक्ष जोरदार कोधित आवाज में होकर कई तरह की बातें की यहॉ तक कि यह कहा कि न्यायालय दबाव में है कल की तारीख लगा दो या मेरे खिलाफ फैसला कर दो। उसके बाद न्यायालय ने दिनांक 20.5.2025 तारीख पेशी निर्धारित की। न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा अरूणेश कुमार, शान्तनु कुमार आदि के दबाव में है एवं उपरोक्त व्यक्ति खुले में कहते फिरते है कि अदालत में हम जो चाहेंगे वह काम कम करवा लेंगे व हमारे पक्ष में फैसला करवा लेंगे। उपरोक्त व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण की भूमि हडपना चाहते है जबकि संबंधित राजस्व न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय आदि में भू उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णश किये जा चुके है। बेवजह 145 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही की एस.एच.ओ. कोतवाली दौसा को रिसीवर नियुक्त किया गया है एवं माननीय अधीनस्थ न्यायालय सतीश अरूणेश कुमार, शान्तनु आदि के दबाव में नजदीकी तारीखें दी जाती है। प्रार्थीगण को न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है प्रार्थीगण स्वच्छ न्याय चाहते है इसलिए न्याय हित में उक्त प्रकरण सं0 2/2023 सक्षम उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा के यहॉ से स्थानान्तरित कर अन्य न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा जावे जिससे कि निष्पक्ष न्याय मिल सके। यदि उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरण कर सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया तो जातीय दंगे एवं झगडे होने की संभावना है क्योंकि सतीश, अरूणेश कुमार, शान्तनु मनमोहन आदि लोग संपन्न एवं धनबल के व्यक्ति है जो कभी भी दंगा फसाद करवा सकते है। यदि श्रीमानजी द्वारा उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जावेंगे और विपक्षीगण झूंठे तथ्यों के आधारों पर प्रार्थीगण की संपत्ति को हडप लेंगे। अतः प्रार्थीगण का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उनवानी प्रकरण सरकार बनाम लल्लूप्रसाद वगै0 प्रथम पक्ष व मनमोहन वगै0 द्वितीय पक्ष आदि प्रकरण सं0 2/2023 जो उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा में विचाराधीन है को अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पा सुनवाई व निर्णय हेतु स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा के द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जा रहा है। प्रार्थीगण प्रकरण में देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। यदि उक्त विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

6. उपखंड अधिकारी दौसा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें अंकित किया है कि प्रकरण सं0 2/2023 उनवानी सरकार बनाम लल्लू प्रसाद वगै0 अंतर्गत धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी. न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.6.2025 नियम है। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये संपूर्ण आरोप मिथ्या एवं बेबुनियादी है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त पत्रावली में उभयपक्षकारान को समान अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया अनुसार ही सुनवाई की जा रही है। इसके बावजूद यदि प्रार्थीगण उक्त पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित करवाना चाहते हैं तो इसमें न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा को कोई आपत्ति नहीं है। स्थानान्तरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण सं0 2/2023 उनवानी सरकार बनाम लल्लू प्रसाद वगै0 अंतर्गत धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी. को न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त विचाराधीन प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाता है। विचाराधीन प्रकरण सं0 2/2023 उनवानी सरकार बनाम लल्लू प्रसाद वगै0 अंतर्गत धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी. को न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा से न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा विचाराधीन प्रकरण को न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान को स्थानान्तरित कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक: 01 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:53:12 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा